न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 22/2025
जी.सी.एम.एस. नं.: 2025/44

1. मुखराम पुत्र देवकरण जाति नायक निवारी 10 ररकारी तहरील श्रीविजयनगर
2. भादरराम पुत्र देवकरण जाति नायक निवारी 10 ररकारी तहरील श्रीविजयनगर
3. देशराज पुत्र नोपाराम जाति नायक निवारी 43 जीबी तहसील श्रीविजनगर
4. सतपाल पुत्र नोपाराम जाति नायक निवारी 43 जीबी तहसील श्रीविजयनगर

—: **प्रार्थीगण**

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र भजनलाल जाति जाट निवासी 22 जीबी तहसील श्रीविजयनगर
2. रजीराम पुत्र भजनलाल जाति जाट निवासी 22 जीबी तहसील श्रीविजयनगर
3. विमला देवी पुत्री भजनलाल जाति जाट निवासी 22 जीबी तहसील श्रीविजयनगर
4. शान्ति देवी पत्नी भजनलाल जाति जाट निवासी 22 जीबी तहसील श्रीविजयनगर
5. सलोचना देवी पुत्री भजनलाल जाति जाट निवासी 22 जीबी तहसील श्रीविजयनगर
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर

—: **अप्रार्थीगण**

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थिति :—

1. **श्री सुरेन्द्र भाटी, अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **श्री प्रेम कुमार चुघ, अधिवक्ता अप्रार्थीगण**
3. **राजपैरोकार**

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 27.05.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :—

1. प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चक 17 एसडी ए तहसील श्रीविजयनगर में स्थित अपनी भूमि मु.नं. 20 में प्रवेश के प्रयोजनार्थ अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 की भूमि चक 17 एसडी ए प.नं. 135/405 मु.नं. 20 के कि.नं. 1 में उत्तर से दक्षिण 2 बिस्वा स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रास्ता मौके पर चल रहा है, अप्रार्थीगण स्वीकृत करवाने के लिए सहमत है। प्रार्थीगण से भूमि के बदले में डी.एल.सी. दर की दोगुणा राशि प्रतिफल दिलाने हेतु निवेदन किया। वकील उभयपक्ष प्रकरण में सहमति [illegible] कारण रास्ता स्वीकृत करने के लिए निवेदन किया वकील अप्रार्थीगण [illegible] भूमि की एवज में डी. एल.सी. दर की दोगुणा राशि प्रार्थीगण से दिलाने के लिए निवेदन [illegible] जिस पर वकील प्रार्थीगण सहमति व्यक्त की। चूंकि अप्रार्थीगण रास्ता [देने] सहमत है ऐसे में मौका स्थिति जांच की आवश्यकता नहीं है। उभयपक्ष द्वारा उक्त वांछित रास्ता मौके पर चालू होने का कथन किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों यथा जमाबंदी आदि का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:37:05 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज.काश्त.अधि. स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 1 से 5 की खातेदारी भूमि चक 17 एसडी ए प.नं. 135/405 मु.नं. 20 के कि.नं. 1 में उत्तर से दक्षिण 2 बिस्वा गै.मु. रास्ता पत्थर लाईन के साथ साथ स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थीगण रास्ते में आई भूमि की एवज में अप्रार्थीगण को रास्ते में आई भूमि की डीएलसी दर की दो गुणा राशि अदा करेगें। तहसीलदार श्रीविजयनगर प्रतिकर की गणना कर प्रार्थीगण से नियमानुसार राशि जमा करवा स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें तथा अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 को जमाशुदा प्रतिकर राशि का उनके अंश अनुसार भुगतान करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 27.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:37:05 IST
Reason: SelfAttested